लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तीकरण

अरुण कु. पांडा

किसी भी उद्यम के बाजार में अच्छी तरह से काम करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जैसे यूटिलिटीज की सुविधा, बाजार, कुशल श्रम शक्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि। इस संदर्भ में सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। संपूर्ण रूप से, यह दृष्टिकोण सहकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। साथ ही व्यापार करने के लिए क्लस्टर स्तर पर मौजूद कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी समझाता है

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों, जिसे एमएसएमई सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, के योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। साथ ही इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र आम जन को रोजगार प्रदान करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नवाचार की अगुआई में देश के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई सेक्टर बड़े व्यवसायों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगी इकाई का काम करता है जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक एवं समावेशी विकास में सहयोग प्रदान किया जा सके।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र से संबंधित हैं, जो भारत की 40 प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार देती हैं। 8000 से अधिक पारंपरिक और हाई-टेक वस्तुओं का उत्पाद इस क्षेत्र में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में बढ़ रही है और 2025 तक इसके 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। ऐसे में इस क्षेत्र का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सरकार की यह प्राथमिकता है कि नई नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए एमएसएमई क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूती दे। इस वर्ष के 6482 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से यह स्पष्ट होता है जो पिछले वर्ष के 3465 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले अत्यधिक है।

विभिन्न नीतिगत उपायों से एमएसएमई को मजबूत करना

एमएसएमई सेक्टर की अंतर्निहित क्षमता के बावजूद, अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। समय पर ऋण न मिलना, बुनियादी ढांचे की कमी, पुरानी तकनीक, बाजार तक पर्याप्त पहुंच न होना और कुशल श्रमशक्ति का न होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ती होड़ के कारण विश्व स्तर पर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के लिए मजबूत रणनीति अपनाए जाने की जरूरत है। सरकार इन समस्याओं से अवगत है और इस क्षेत्र को फिर से जीवंत करने की तात्कालिकता

लेखक भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं। इनका रोजगार सृजन और एमएसएमई क्षेत्र के विकास की संभावनाओं की तलाश में व्यापक योगदान है। केंद्र और राज्यों में प्रशासक, नीति निर्धारक और जनस्वास्थ्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के रणनीतिकार रहे हैं। ईमेल: sec.msme@gmail.com

को भी समझती है। इसलिए, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी कई पहल की गई है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16-17 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और 2022 तक 1000 लाख अधिक नौकरियां का सृजन किया जाए।

एसएमई को वित्तपोषण

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एमएसएमई क्षेत्र एक समान नहीं है और इसलिए विभिन्न उद्यमों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं। पर्याप्त ऋण तक समय पर पहुंच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जरूरी है और यह भी एक समस्या है। पर मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए ऋण तक पहुंच इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए, सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत कवरेज को बढ़ा दिया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अंतर्गत आने वाली इकाइयां अब चुनिंदा वित्तीय संस्थानों से एक करोड़ रुपए के बजाय दो करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की वित्तीय जटिलताओं और ऋण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए बाजार में नए मॉडल भी आ रहे हैं। कार्यशील पूंजीगत क्षेत्र में विभिन्न स्टार्ट-अप्स ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एसएमईज़ के लिए आसानी से ऋण प्राप्त करना सुविधाजनक हो। इन वित्तीय संस्थानों और ऋण दाताओं के चलते एसएमईज़ को आर्थिक सुरक्षा मिलने की अधिक संभावना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें हर साल सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में रोजगार सृजन की लिए काफी संभावनाएं हैं।

खादी और ग्रामोद्योग

खादी और ग्रामोद्योग भारत की दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विरासत हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए मंत्रालय की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराती हैं।

प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना

आज विश्व बाजार पर अनेक बड़ी कंपनियों (ग्लोबल वैल्यू चेन्स) के बीच प्रतिस्पर्धा है। एक पसंदीदा सप्लायर बनने के लिए किसी उद्यम को बेहतर कार्य पद्धति अपनाते हुए और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए न केवल नए समाधान पेश करने होते हैं, बल्कि अपने भागीदारों को अधिक से अधिक आकर्षक योजनाएं भी उपलब्ध करानी होती हैं। ऐसे में तकनीकी परिष्कार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में मंत्रालय देश भर में 18 टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए उच्च दक्षता और प्रौद्योगिकी सहायता देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई की समूची उत्पादकता में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने विश्व बैंक के वित्त पोषण से कतिपय केंद्रों का उन्नयन करने और प्रौद्योगिकी केंद्र सिस्टम प्रोजेक्ट (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) को स्थापित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र उद्यमियों के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, कुशल श्रम शक्ति और व्यावसायिक सलाहकार देने के लिए एमएसएमई का सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) भी काम कर रही है। इस योजना में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है, जो अधिकतम 15 लाख रुपये है। जून 2017 तक कुल 78.68 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसका लाभ 1293 एमएसई को प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) सर्टिफिकेशन में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की है। एमएसएमई के बीच जेड विनिर्माण के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जेड के लिए अपने उद्यम के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करने एवं उन्हें समर्थन देने का यह एक व्यापक अभियान है।

बुनियादी ढांचे को मजबूती देना

किसी भी उद्यम के बाजार में अच्छी तरह से काम करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जैसे यूटिलिटीज की सुविधा, बाजार, कुशल श्रम शक्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि। इस संदर्भ में सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। संपूर्ण रूप से, यह दृष्टिकोण सहकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। साथ ही व्यापार करने के लिए क्लस्टर स्तर पर मौजूद कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी समझाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें हर साल सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में रोजगार सृजन की लिए काफी संभावनाएं हैं।

पूंजी की कमी के कारण, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आमतौर पर नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती इसलिए उनके उत्पाद कई बार गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। क्लस्टर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे सामान्य उद्यमों के लिए ठोस परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जैसे कॉमन फेसिलिटिटी सेंटर्स (सीएफसी), नवीनतम उपकरण, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, परीक्षण सुविधाएं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के क्लस्टर्स को लाभ पहुंचा है। मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक से अधिक क्लस्टर्स को लाने के लिए सूक्ष्म उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई - सीडीपी) और ग्रामीण एवं पारंपरिक क्लस्टर का उन्नयन (एसएफयूआरटीआई) जैसी योजनाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

नए बाजार तक पहुंच

सरकार ने एमएसएमई के मौजूदा बाजार को व्यापक बनाने और इसकी इकाइयों के बीच परस्पर संबंध कायम करने का लक्ष्य रखा है। यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सार्वजनिक खरीद नीति, एसएसई 2012 के आदेश के तहत अपनी 20 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से करेंगे। यह नीति न केवल एमएसई पर केंद्रित है, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद बाजार में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए, एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसएमई से खरीद का 4 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समूह के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों की अपनी स्वयं की समस्याएं हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने और एससी-एसटी वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 18 अक्टूबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने 490 करोड़ रुपए (2016 - 2020) के परिव्यय वाले राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) की शुरुआत की। एनएसएसएच का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमों को पेशेवर समर्थन प्रदान करना है। हब वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा संचालित है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। मौजूदा और नए एससी-एसटी उद्यमों द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद की सुविधा के लिए हब के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) को प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 25% की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी राशि दी जाएगी।

मानव पूंजी

एमएसएमई के विकास के लिए नई प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। 1.25 अरब से अधिक आबादी के बावजूद हमारे देश में दक्ष श्रमशक्ति दुर्लभ है। एमएसएमई क्षेत्र में देश की श्रमशक्ति की दक्षता बढ़ाने की कुंजी है, विशेष रूप से जब देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु की है। प्रत्येक वर्ष रोजगार बाजार में दाखिल होने वालों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो जाता है ताकि श्रमशक्ति के लिए नौकरियां तैयार की जा सकें। मंत्रालय द्वारा विकास आयुक्त (एमएसएमई) के

एससी-एसटी वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 490 करोड़ रुपए (2016 - 2020) के परिव्यय वाले राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) की शुरुआत की। एनएसएसएच का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमों को पेशेवर समर्थन प्रदान करना है। हब वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा संचालित है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

कार्यालय के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों के लिए अनेक ईडीपी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के महत्व को समझने के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए सरकार मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों को मजबूती दे रही है और कई अन्य पहल भी कर रही है। उदाहरण के लिए व्यापार सरलीकरण के अंग के रूप में और इस क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र बनाने के लिए, उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) को सितंबर 2015 में अधिसूचित किया गया है। यह व्यवस्था वन पेज सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है, जिससे विलंब से बचा जा सके और मौजूदा उद्यम उद्यमिता ज्ञापन (ईएम) भाग-I और भाग-2 में विविधता लाई जा सके। इससे अपने व्यवसायों को पंजीकृत करना एमएसएमई के लिए आसान होगा। इसके प्रारंभ होने के बाद उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के तहत 35 लाख से अधिक इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। इसके अलावा, जीएसटी के तहत *एक राष्ट्र एक कर* दृष्टिकोण के साथ, एमएसएमई द्वारा अपनी क्षमताओं का दोहन करने की संभावना बनती है।

कुल मिलाकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ, नवीनता और उद्यमशीलता के जरिए अनेक नीतिगत हस्तक्षेप व्यापार-अनुकूल परिवेश कायम करने में गतिशील भूमिका निभाएंगे। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन और संपन्नता हासिल करने की अत्यधिक क्षमता है। राज्य सरकारों, उद्योग संघों, इन्क्यूबेटरों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों को समान लक्ष्य प्राप्त करने और उच्च विकास एवं रोजगार के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग करना होगा। स्मरण रहे, विस्तृत श्रेणियों के उद्यमों के साथ एमएसएमई क्षेत्र में जनसंख्या संबंधी लाभांश प्राप्त करने की कुंजी है। ❑

संदर्भ

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2016-2017
2. उद्यमिता विकास पर संगीता शर्मा की किताब
3. मार्गन स्टेनले का रिसर्च पेपर द नेक्स्ट इंडिया
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार और अन्य प्रेस विज्ञप्ति लेख
5. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) और सार्वजनिक खरीद नीति, एमएसई आदेश 2012
6. डीसी-एमएसएमई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट
7. भारत में एमएसएमईज़ की समस्याएं, रिसर्च गेट पब्लिकेशंस, 10 मई, 2016

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/6/2017